फर्द अहकाम

ार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मंगीला विपक्षी भीमा

कदमा 212 RT Act पत्रावली संख्या 24/19 सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
8/8/24 वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. वा. कायमी / तलबी के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24/10/24 को पेश हो। SDO मावली	
24/10/24 वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. वा. कायमी / तलबी के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13/11/24 को पेश हो। SDO मावली	
13/11/24 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप वा. कायमी के लिये मौका चाहते है। अतः स्वतः बंद की शर्त पर अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दि० 13/12/24 को पेश हो। (SDO) मावली	
13/12/24 वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. वा. कायमी के लिये मौका चाहते है। अतः स्वतः बंद की शर्त पर अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21/02/25 को पेश हो। SDO मावली	
21/02/25 वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. वा. कायमी के लिये मौका चाहते है। अतः स्वतः बंद की शर्त पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28/02/25 को पेश हो। SDO मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 17:07:37 IST
Reason: SelfAttested

28/2/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वा० कायमी
के लिये मौका चाहते है। अतः स्थगन को वार्ता पर
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 21/4/25
को पेश हो।

(SDO) मावली

21/4/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वा० कायमी
के लिये मौका चाहते है। अतः स्थगन: पढ़की शर्त पर
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 16/6/25
को पेश हो।

(SDO) मावली

16/6/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. वा० कायमी
के लिये मौका चाहते है। अतः अंतिम
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 23/6/25
को पेश हो।

(SDO) मावली

23/6/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.।
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
क्रम में दिनांक 18/8/25 को पेश हो।

DI°

18/8/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में वारिस कायमी में लम्बित हैं। प्रार्थीगण को वारिस कायमी हेतु लगभग 2 वर्ष का समय दिया जा चुका है। प्रार्थीगण को काफी समय दिये जाने पर भी वारिस कायमी नहीं करवाने से स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के प्रति सजग नहीं है एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित [illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित रहे [illegible] प्रार्थना पत्र अदम हाजरी [illegible] में खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम [illegible] आती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली जिला-उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 17:07:37 IST
Reason: SelfAttested